संख्या-18/2019/414 मंत्री/26-3-2018-4(2)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-गोण्डा में विकास खण्ड्र/तहसील मनकापुर के वनटांगिया/सिसवॉ ग्राम में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालिकाओं के पठन-पाठन हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था परिवर्तित करने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-227/2018/414 मंत्री/26-3-2018-4(2)/2018, दिनांक-22.11.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-गोण्डा में विकास खण्ड/तहसील मनकापुर के वनटांगिया/सिसवॉ ग्राम में अनुसूचित जाति/ जनजाति के बालिकाओं के पठन-पाठन हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु **रू0-987.40 लाख (रू0-नौ करोड़ सत्तासी लाख चालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कार्यदायी संस्था के रूप में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), गोण्डा, उ0प्र0 को नामित किया गया था।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-गोण्डा में विकास खण्ड/तहसील मनकापुर के वनटांगिया/सिसवॉ ग्राम में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालिकाओं के पठन-पाठन हेतु राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), गोण्डा, उ0प्र0 के स्थान पर यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट, कारपोरेशन लि0, लखनऊ (यू0पी0 सिडको) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासनादेश संख्या-227/2018/414 मंत्री/26-3-2018-4(2)/2018, दिनांक-22.11.2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृसं0-18/2019/414 मंत्री(1)/26-3-2018-4(2)/2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4 जिलाधिकारी, गोण्डा।
5 जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
6 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको) लखनऊ।
9 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा), गोण्डा, उ0प्र0।
10 निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।
11 गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।